प्रेस विज्ञप्ति
10.07.2026

ईडी, इंदौर ने 20.47 करोड़ रुपये के ब्लॉक शिक्षा कार्यालय कोषागार धोखाधड़ी मामले में पूरक अभियोजन शिकायत दायर की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर उप-आंचलिक कार्यालय ने मध्य प्रदेश के जिला अलीराजपुर स्थित ब्लॉक शिक्षा कार्यालय (बीईओ), कट्ठीवाड़ा से **कमल राठौर** एवं अन्य आरोपियों द्वारा फर्जी बिलों के भुगतान तथा शासकीय निधि के गबन से संबंधित मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक **09.07.2026** को माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), इंदौर, मध्य प्रदेश के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की है।

ईडी ने जिला अलीराजपुर के थाना कट्ठीवाड़ा में वर्ष 2018 से 2023 के दौरान ब्लॉक शिक्षा कार्यालय, कट्ठीवाड़ा से **20.47 करोड़ रुपये** के फर्जी कोषागार भुगतानों के संबंध में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच प्रारंभ की।

ईडी की जांच में यह सामने आया कि कमल राठौर ने अन्य आरोपियों के साथ मिलीभगत कर फर्जी बिलों के भुगतान के माध्यम से अलीराजपुर कोषागार से शासकीय धन का गबन किया। अपराध से अर्जित आय को उसके तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित एवं संचालित अनेक बैंक खातों के माध्यम से प्रवाहित किया गया, तत्पश्चात नकद निकासी कर उक्त धनराशि का उपयोग जिला धार के गंधवानी स्थित कृषि भूमि की खरीद में किया गया।

इससे पूर्व धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए तथा बैंक खातों को फ्रीज किया गया। ईडी ने आरोपियों की **4.43 करोड़ रुपये** मूल्य की परिसंपत्तियों को भी अनंतिम रूप से कुर्क किया था, जिसकी पुष्टि बाद में माननीय न्यायनिर्णयन प्राधिकरण (पीएमएलए) द्वारा दिनांक **10.03.2026** को कर दी गई।

आगे की जांच में यह भी सामने आया कि अपराध से अर्जित आय से खरीदी गई कृषि भूमि को बाद में **"श्री बालाजी धाम"** नामक आवासीय प्लॉटिंग परियोजना के रूप में विकसित किया गया, ताकि परिसंपत्तियों के अवैध स्रोत को छिपाया जा सके तथा दूषित संपत्तियों को वैध संपत्तियों के रूप में प्रदर्शित किया जा सके। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत दिनांक 23.06.2026 को जारी अनंतिम कुर्की आदेश के माध्यम से उक्त परियोजना के **56 आवासीय भूखंडों** को कुर्क किया था। इन कुर्क की गई संपत्तियों का अनुमानित बाजार मूल्य **6 करोड़ रुपये** से अधिक है।

ईडी द्वारा इससे पूर्व दिनांक **29.09.2025** को कमल राठौर एवं अन्य आरोपियों के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंदौर के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की जा चुकी थी। आगे की जांच के उपरांत वर्तमान **पूरक अभियोजन शिकायत** दिनांक **09.07.2026** को माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), इंदौर के समक्ष दायर की गई है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंदौर ने आरोपियों को नोटिस जारी कर दिए हैं।

मामले में आगे की जांच जारी है।